

न्यायालय सहस्रीलधार कठुमार (अलवर) राज.

प्रकार खरिये रिपोर्ट पटवारी हल्का बनाम

प्रकरण अर्तगत धारा 81 प्रकलनाय पुस्त

निर्णय दिनांक - 31-12-18

प्रकरण संख्या - RA/36/2018

प्रभावली प्रस्तुत हुई। प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि धारक शुभम
जी आ.ख.न. 454 कुल रकमा 1.08 किस्म जमीन गोदनासिंह/हरिसिंह जाट न सं 6.01
रकमे पर श्री गोदनासिंह/हरिसिंह जाट पर अनाधिकृत मात्र से अतिक्रमण कर

शुभम कर लिया है। इस पर पटवारी हल्का द्वारा दिनांक
को उसके विरुद्ध कागुनी कार्यवाही किये जाने की रिपोर्ट नय साईव
भू.अ.निरी. शौरव के द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया
जाकर अतिक्रमी गोदनासिंह/हरिसिंह जाट जाति जाट निवासी शुभम को नृ
राज्य अधिनियम 1956 की धारा 81 के तहत नोटिस जारी किये गये नोटिस की तामील
कराई गई। नोटिस बाद तामील प्राप्त होने पर शानिल पत्रावली किया गया। अतिक्रमी

उपस्थित आया। जहाँ नोटिस पेश किया जो शानिल पत्रावली है।
उक्त रकमा आ.ख.न. 454 रकमा 1.08 न सं 6.01
रकमे किस्म गोदनासिंह/हरिसिंह जाट जो निवसन न जाय रही है डिवाजा होरसायम का अतिक्रमण
रकमे से वेदखल किया जाने क आदेश दिने जाने है एव एण्ड स्वरुप जमान 63 पैसे का
50 गुणा 32 रुपये पैन्सली आरोपित की जाती है मांग कायमी हेतु टीआरए को किया
जाये, पैन्सली वसूली एव वेदखली हेतु हल्का पटवारी शुभम भू.अ.निरी.
शौरव को लिखा जाकर बाद तकनील दाखिल दपतर हो। निर्णय खुले न्यायालय में
सुनाया गया।

कठुमार (अलवर) राज.

प्रीति लिपि :- प. नं. 2018-19 का नं. 321
श्री. नं. 4 के पृष्ठ नं. 16 का पृष्ठ 3
हो कायमी की गई

कठुमार (अलवर) राज.